प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनाक 02.08.2025

कूटरचना द्वारा धोखाधड़ी कर मृत व्यक्ति के स्थान पर जमीन बेचने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के आपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खोराबार के नेतृत्व में उ0नि0 आशुतोष सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 369/25 धारा-319(2),318(4),338,336(3),340(2),351(3) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्ता द्रौपदी उर्फ सावित्री देवी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की पत्नी के नाम से स्थित जमीन को उनके मृत हो जाने के उपरान्त अभियुक्ता द्वारा कूटरचना करते हुए वादी की पत्नी बनकर जमीन को अपनी दो पुत्रियों के नाम करा दिया गया तथा जबरन वादी के मकान को कब्जा करने की धमकी दी जा रही थी। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

द्रौपदी उर्फ सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय राम प्रसाद निषाद निवासी मोतीराम अड्डा थाना झगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण–

मु0अ0सं0 369/25 धारा-319(2),318(4),338,336(3),340(2),351(3) भा0न्या0सं0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 आशुतोष सिंह थाना खोराबार गोरखपुर
2. उ0नि0 नवीन कुमार राय थाना खोराबार गोरखपुर
3. म0उ0नि0 अनुप्रिया राय थाना खोराबार गोरखपुर
4. का0 छट्ठू प्रसाद थाना खोराबार गोरखपुर